फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर फलौदी

राजेश सोनी पुत्र श्री पूनमचन्द, जाति सोनी निवासी आर्दश नगर, फलौदी	बनाम	राज्य सरकार

किस्म मुकदमा :- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 (क) राजस्थाना गोवंशीय पशु अधिनियम 1955

प्रकरण नंबरः- 05 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/11/2024	पत्रावली पेश हुई। पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना जाम्बा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मय केस डायरी प्राप्त हुई। उभयपक्ष को सुना गया। प्रार्थी की ओर से श्री अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि थानाधिकारी पुलिस थाना जाम्बा द्वारा प्रार्थी का ट्रैक्टर आर.जे. 43 आर.ए. 4133 को थाना पुलिस ने बतौर वजह सबूत अपने कब्जे में ले रखा है। प्रार्थी उक्त ट्रैक्टर का रजिस्टर्ड मालिक है। प्रार्थी ने उक्त ट्रैक्टर में राजस्थान क्षेत्र से किसी भी गौवंशीय पशु को राजस्थान क्षेत्र से बाहर अन्य राज्य में नहीं ले जा रहे थे और ना ही क्रूरता कर रहे थे। उक्त ट्रैक्टर आर.जे. 43 आर.ए. 4133 थाने में रखने से उसके मशीनरी व टायर ट्यूब खराब होने की पूर्ण संभावना है और मूल प्रकरण में निस्तारण में समय लगने की संभावना है। अतः निवेदन है कि वाहन की सुपुर्दगी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। खेती में उपयोग करने हेतु ट्रैक्टर आर.जे. 43 आर.ए. 4133 को सुपुर्दगी पर दिए जाने की इस्तुदआ की गई। संबधित अभियोजन अधिकारी ने बहस करते हुए कथन किया कि राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा 6 (क) वाहन को अधिहरण रखने हेतु श्रीमान प्राधिकृत है। थानाधिकारी, पुलिस थाना जाम्बा ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट मे उल्लेख किया है कि आरोपीगण को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट फलौदी के समक्ष पेश किया गया है। प्रकरण माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट फलौदी में विचाराधीन है। अनुसंधान में जब्त वाहन संख्या ट्रैक्टर आर.जे. 43 आर.ए. 4133 की तफ्तीश पूर्ण हो चुकी है। उक्त वाहन की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। वाहन की सुपुर्दगी दी जा सकती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। जहां तक जब्ती वाहन सुपुर्दगी पर दिये जाने अथवा अधिहरण रखने का बिन्दु है। इस संबध में थानाधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार वाहन ट्रैक्टर आर.जे. 43 आर.ए.4133 की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। वाहन गोवंश क्रूरता करने के लिए उपयोग में आने के कारण जब्त किया गया है। इसका आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है इसलिए राजस्थान गौवंशीय पशु	

जिला मजिस्ट्रेट फलौदी (राज.)

डायरी एवं रिपोर्ट दिनांक 20.11.2024 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रकट होता है कि अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका है एवं अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। जब्तसुदा ट्रैक्टर घटना के समय अभियुक्त अशोक पुत्र रुपाराम द्वारा चलाया जा रहा था और ट्रैक्टर को पीछे दौड़ाकर गौवंश की प्रति क्रूरता किया जाना प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है। मामले में अपराधिक प्रकरण विचाराधीन है। प्रकरण में थानाधिकारी द्वारा उक्त वाहन सीज किये जाने के सम्बध में न तो समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और न ही वाहन को अधिहरण किये जाने के संबध में थानाधिकारी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो कि राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा 6 (क) में वर्णित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त वस्तुस्थिति जिला पुलिस अधीक्षक फलौदी को ध्यान में लाये जाना यह न्यायालय उचित समझता है। अधिनियम की धारा 6 क (2) के परन्तुक के अनुसार वाहन स्वामी को वाहन के अधिहरण से पूर्व अधिहरण के बदले जुर्माना राशि जमा करवाई जाने का विकल्प दिए जाने का प्रावधान है। अपराधिक न्यायालय में प्रकरण वर्तमान में लम्बित है एवं चालान प्रस्तुत किए जाने का आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा दिये जा चुके है।

अतः आदेश दिये जाते है कि उक्त वाहन मालिक को राजेश सोनी पुत्र पूनम चन्द निवासी आदर्श नगर फलौदी, जिला फलौदी को उनके द्वारा जुर्माना राशि रूपये 50,000/- (अक्षरे- पचास हजार रूपये) जमा करवाने पर मय शपथ पत्र इस शर्त के साथ कि इससे सम्बधित आपराधिक प्रकरण के अंतिम निस्तारण तक इस न्यायालय / अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त वाहन तलब करने पर उनके समक्ष प्रस्तुत करेगे, वाहन का विक्रय/हस्तानान्तरण नहीं करेंगे, वाहन का किसी भी तरह से परिवर्तन नहीं करेंगे, उक्त वाहन को वाहन मालिक को सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश आज दिनांक 29/11/2024 को लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

पुलिस थाना जाम्बा की केस डायरी एवं रिकार्ड पुनः लौटाया जावे। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक फलौदी को अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
फलौदी (राज.)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट फलौदी